

(Authoritative English text of Government Notification No PLG-B (2) -4/2014 dated 16 March, 2015 as required under clause (3) of article -348 Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh  
Department of Planning

No. PLG-B (2) -4/2014

Dated: 16 March, 2015

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Programmer, Class-I (Gazetted), in the Department of Planning , Himachal Pradesh, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

**Short title and  
Commencement**

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Planning Department, Programmer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

Dr. Shrikant Baldi  
Principal Secretary (Planning) to the  
Government of Himachal Pradesh.

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PROGRAMMER,  
CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PLANNING, HIMACHAL  
PRADESH.**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1.  | Name of the post                                 | Programmer  |
| 2.  | Number of post(s)                                | 01 (One)  |
| 3.  | Classification                                   | Class-I (Gazetted)  |
| 4.  | Scale of Pay                                     | <p>i) Pay scale for regular incumbents:<br/>Pay Band ₹ 10300-34800 + ₹ 5000 Grade Pay</p> <p>ii) Emoluments for contract employees:<br/>Rs. ₹ 15300/- as per details given in Column I5-A..</p> |
| 5.  | Whether "Selection" post or "Non-Selection" post | Selection.  |
| 6.  | Age for direct recruitment                       | 45 years or below   |
| <p>Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis;</p> <p>Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/ she was appointed as such he/ she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/ her such adhoc or contract appointment;</p> <p>Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;</p> <p>Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.</p> |  |   |

|    |   |
|----|---|
|    | Notes:<br>(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.<br><br>(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.  |
| 7. | <p>Minimum educational and other qualifications required for direct recruits</p> <p>(a) Essential Qualification(s):<br/>Bachelor's degree in Computer Science &amp; Engineering/ Computer Application/ Information Technology or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P./ Central Government.<br/><br/>OR<br/>i) Master Degree in Physics/ Mathematics/ Economics/ Statistics or its equivalent from a recognized University.<br/>ii) Post Graduate Diploma of atleast one year duration in Computer Application or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P./ Central Government.<br/><br/>OR<br/>Master Degree in Information Technology/ Computer Science/ Computer Application (MCA) or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P./ Central Government.<br/><br/>OR<br/>"B" level Course from DOEACC Society.</p> <p>(b) Desirable Qualification(s):<br/>Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p> |
| 8. | <p>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in in case of the promotee( s)</p> <p>i) Age: Not applicable<br/>ii) Educational Qualification: Yes, as prescribed in Column No.11.</p>   |
| 9. | <p>Period of probation, if any</p> <p>Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.</p>   |
| 10 | <p>Method(s)of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, Secondment,</p> <p>100% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:   |  |
| 11.   | In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made: | <p>By promotion from amongst the Programme Planning Officer(s) subject to possessing of following educational qualification with 03 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Programme Planning Officer(s) subject to possessing of following educational qualification with 09 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Programme Planning Officer &amp; Computer Operator combined which shall also include two years essential service as Programme Planning Officer failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Departments of Himachal Pradesh Government:-</p> <p>Bachelor's degree in Computer Application/ Information Technology or Bachelor's degree with Economics/ Mathematics/ Statistics/ Commerce as one of the elective subjects with diploma of at least one year duration in Computer Application or its equivalent from a recognized Institution/ University or as prescribed for direct recruitment against Column No.7 (a) above.</p> |
| <p>A (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;</p> <p>Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.</p> <p>Provided further that Officers / Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his / her seniority in the respective cadre.</p> <p><b>Explanation-I:-</b> For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal / Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.</p> <p><b>Explanation-II:</b> For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Lahaul &amp; Spiti.</li> <li>2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.</li> </ol> |  |  |

3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

- (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

**Explanation:-** The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-

|      |  |
|------|--|
|      | <p>Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.</p> <p>(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&amp;P Rules.</p> <p style="text-align: center;">Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.</p> |
| 12   | <p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?</p> <p>D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.</p>  |
| 13.  | <p>Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment</p> <p>As required under the Law.</p>   |
| 14.  | <p>Essential requirement for a direct recruitment</p> <p>A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India</p>   |
| 15.  | <p>Selection for appointment to post by direct appointment</p> <p>Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.</p>   |
| 15-A | <p>Selection for appointment to the post by contract appointment`</p> <p>Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :</p> <p><b>(I) CONCEPT:</b></p> <p>(a) Under this policy the Programmer in Planning Department, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year- to-year basis.</p> <p>Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.</p> <p><b>(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF</b></p>  |

**HPPSC:**

The Principal Secretary (Planning), Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

**(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.**

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:**

The Programmer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15,300 per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 459 (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY:**

The Principal Secretary (Planning), Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS:**

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF ONTRACTUAL APPOINTMENTS:**

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

**(VI) AGREEMENT:**

After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS:**

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,300- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 459 (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied

benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 5 days special leave. He/ She shall not be entitled for Medical Re-imburement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds / as per transfer policy of the Government for contractual employees if any.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to T A / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be



|     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
|     |                          | entitled for emoluments etc. as detailed in this column.  |
| 16. | Reservation              | The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.  |
| 17. | Departmental Examination | Every member of the service shall have to pass a Departmental Examination as prescribed in Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.   |
| 18. | Power to relax           | Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s). |

**Form of contract/agreement to be executed between the Programmer and the Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary/ Secretary (Planning), Planning Department.**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_  
Between Sh/Smt./Miss \_\_\_\_\_ S/o/D/o \_\_\_\_\_ Shri  
\_\_\_\_\_ R/o  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_contr  
act appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/ Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY) whereas the Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Programmer on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Programmer for a period of one year commencing on day of.....and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on \_\_\_\_\_ and information notice shall not be necessary:

provided that for extension/ renewal of Clontacr period the HOD shall issue the certificate that the service and conduct of the contract appointee as satisfactotry during the year and only this period of the contract is to be renewed/ extended.

2. The contract amount of the FIRST PARTY will be paid@ Rs. 15,300 per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 459 (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4 Contract appointee will be entitled for one day day's casual leave after putting in one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5 Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases

where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7 Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contractual. appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale(s).

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

In WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. ....  
.....  
.....

(Name and Full Address)

(Signature of the First party)

2. ....  
.....  
.....

(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
योजना विभाग

संख्या: पीएलजी-बी(2)-4/2014

तारीख शिमला-2 16 मार्च 2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ!** 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

डॉ.श्रीकान्त बाल्दी  
प्रधान सचिव (योजना)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश, योजना विभाग में, प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| 1.   | पद का नाम:               | प्रोग्रामर ।   |
| 2.   | पद (पदों) की संख्या:     | 01 (एक) ।  |
| 3.   | वर्गीकरण:                | वर्ग - I (राजपत्रित) ।   |
| 4.   | वेतनमान:                 | (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान ₹ 10300-34800/- जमा रूपय 5000/- ग्रेड पे।<br>(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ ₹ 15300/- (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए व्यौरों के अनुसार) प्रतिमास । |
| 5.   | “चयन” पद अथवा “अचयन” पद: | चयन  |
| 6.   | सीधी भर्ती के लिए आयु:   | 45 वर्ष या इससे कम:  |
| <p>परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:</p> <p>परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा/होगी:</p> <p>परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:</p> <p>परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती</p> |                          |  |

में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

**टिप्पण:**

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

**(क) अनिवार्य अर्हता (एं):**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर एपलिकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य ।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/ गणित/ अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि या इसके समतुल्य ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/ केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एपलिकेशन में कम से कम एक वर्ष की

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समतुल्य ।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर साईंस/ कम्प्यूटर एपलिकेशन (एम०सी०ए०) में स्नातकोत्तर की उपाधि या इसके समतुल्य ।</p> <p>या</p> <p>डोएक (डी०ओ०ई०ए०सी०सी०) सोसाइटी से 'बी' स्तर का कोर्स।</p> <p><b>(ख) वाँछनीय अर्हता(एँ):</b></p> <p>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।</p> |
| 8.  | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं), प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं: | <p>(I) <b>आयु:</b> लागू नहीं ।</p> <p>(II) <b>शैक्षिक अर्हता:</b> हाँ, जैसी स्तम्भ संख्या 11 में विहित है ।</p>  |
| 9.  | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:  | दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।  |
| 10. | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,  | शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित   |





प्रत्येक कर्मचारी को जन-जातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक

(1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण-I:** उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

**स्पष्टीकरण-II:** उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पागी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशीपाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमारै जिला में उप तहसील कमरुड के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड- भलौना और सागंना पटवार वृत्त और शिलाई

तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग, तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू आरै दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों) के आधार पर, उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने- अपने प्रवर्ग/ पद/ काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे ।</p> <p><b>स्पष्टीकरण:-</b> अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम- 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।</p> <p>(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :</p> <p>परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।</p> |
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:                               | विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।   |
| 13. | भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा: | जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।   |
| 14. | सीधी भर्ती के  | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए  |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | लिए अनिवार्य अपेक्षा:                             | अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।  |
| 15   | सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:      | सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।   |
| 15-क | संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: | <p>इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:-</p> <p><b>(I) संकल्पना :</b></p> <p>(क) इस पॉलिसी के अधीन योजना विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:</p> <p>परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।</p> <p>(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:-</p> <p>प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा</p> |

आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

**(II) संविदात्मक उपलब्धियां :**

संविदा के आधार पर नियुक्त प्रोग्रामर को 15300/- रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/ वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

**(III) नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी:**

प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी होगा।

**(IV) चयन प्रक्रिया:**

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:**

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**(VI) करार:**

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

**(VII) निबन्धन और शर्तें:**

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15300/- रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/-रूपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0, आदि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय

किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
|    |                      | <p>अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों, आदि के लिए हकदार होंगे।</p> |
| 16 | आरक्षण:              | सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधधीन होगी।   |
| 17 | विभागीय परीक्षा:     | सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।  |
| 18 | शिथिल करने की शक्ति: | जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।  |



प्रोग्रामर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/ सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.....  
पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी.....  
..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’ कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, प्रधान सचिव/ सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘द्वितीय पक्षकार’ कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त ‘प्रथम पक्षकार’ को लगाया है और ‘प्रथम पक्षकार’ ने प्रोग्रामर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रोग्रामर के रूप में.....  
.....से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात् .....  
..... तारीख को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार को 15300/- रूपए (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) की दर से संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा के एक वर्ष से अधिक

की बढौतरी की जाती है, को पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/- रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/ तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0, आदि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई भी अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैंडर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो ऐसी अवधि उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु, पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर किया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./सी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

**साक्षियों की उपस्थिति में:**

1 .....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2 .....  
.....  
.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)